



Shodhshauryam, International Scientific Refereed Research Journal

Available online at : www.shisrrj.com



© 2024 SHISRRJ | Volume 7 | Issue 1

ISSN : 2581-6306

doi : <https://doi.org/10.32628/SHISRRJ>



असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की समस्या एवं संघर्ष कि भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन (फर्रुखाबाद जिले के विशेष संदर्भ में)

Jitendra Pathak

Assistant Professor, Sociology, Dr. Bhimrao Ambedkar Government College, Auden Padaria, Mainpuri, Uttar Pradesh, India

(Research Scholar), Sri Venkateswara University, Gajraula Amroha, Uttar Pradesh, India

Dr. Ranjeet Verma

Assistant Professor, Department of Sociology, S B S PG College, Mangalpur, Barabanki, Uttar Pradesh, India

Article Info

शोध सारांश:

Publication Issue :

January-February-2024

Volume 7, Issue 1

Page Number : 191-198

Article History

Received : 01 Feb 2024

Published : 15 Feb 2024

भारत की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार महिला का स्थान एवं कार्यक्षेत्र घर की चहरदीवारी तक ही सीमित है, किन्तु आदिकाल से ही वह आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों से पीछे नहीं रही है। विकसित देशों में महिलाएं पुरुषों के साथ बिना भेदभाव के कार्य करती रहती हैं, जबकि भारत जैसे विकासशील देश में प्रयासरत है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं आवश्यक दिशा निर्देश जैसे-जैसे महिलाओं में विकसित हो रहा है। क्रमशः कृषि, पशुपालन के अतिरिक्त औद्योगिक एवं अन्य क्षेत्रों में भी महिला श्रमिकों की भागीदारी बढ़ी है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वह पारिवारिक एवं कार्य निष्पादन-व्यवस्था का अभिन्न अंग है। महिलाएं पारिवारिक सीमाओं से बाहर निकलकर व्यवसायिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों तथा परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने में प्रायः उन्हें आन्तरिक संवेगात्मक अथवा भावात्मक द्वन्द्व का सामना करना पड़ता है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र हैं। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी द्वारा फर्रुखाबाद जनपद में असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र को अध्ययन की ईकाई मानकर, इन क्षेत्रों में कार्यरत कुल 200 महिलाओं को संगणना पद्धति के आधार चयनित कर महिलाओं में भूमिका संघर्ष सम्बंधित प्रमुख समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दावली: कार्यरत महिला , असंगठित क्षेत्र, समस्या, संघर्ष आदि।

1. प्रस्तावना :

देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के कार्यरत महिलाओं के समुचित संरक्षण और विकास पर निर्भर करता है। कार्यरत महिला न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भावी कर्णधार भी हैं और इस आयु में संग्रहीत मूल्यों एवं कौशल के आधार पर व्यक्ति भविष्य में एक खुशहाल परिवार, स्वस्थ समाज तथा सशक्त राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में सामान्यतः लोगों को एक से अधिक भूमिकाओं को निभाना पड़ता है। लोग प्रायः वही कार्य करना चाहते हैं जो उनसे अपेक्षा की जाती है। कभी-कभी लोगों को भूमिकाओं के निर्वहन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं कि, जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को एक साथ निभाना इतना कठिन हो जाता है कि हम किसी भूमिका को ठीक से निभाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूमिका संघर्ष आधुनिक युग में एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि औद्योगिक समाज के अंतर्गत लोगों को प्रायः एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वहन करना पड़ता है।

20वीं एवं 21वीं सदी के सामाजिक परिवेश में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया ने भी महिलाओं की प्रस्थिति को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता का जन्म हुआ है। वे पुरुषों की आर्थिक दासता से मुक्त होकर घर की चहारदीवारी से निकलकर बाह्य जगत से परिचित हुई हैं। महिलाएं स्वयं विभिन्न उद्योगों एवं अन्य व्यवसायों में कार्य करने लगी हैं। वर्तमान समय में महिलाएं सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान कार्य करने लगी हैं।

औद्योगिकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप समाज में श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ। जिसमें संगठित एवं असंगठित श्रमिक वर्ग थे। संगठित श्रमिक वे श्रमिक हैं, जो अपने रहन-सहन का स्तर सुधारने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होकर प्रयास करते रहते हैं जबकि असंगठित श्रमिक, वे हैं जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने हेतु संगठित होकर अपने न्योक्ताओं से अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाते हैं। जिससे वह अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक वे श्रमिक हैं जो प्रमुख प्रावधानों जैसे स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध आदि की परिधि से बाहर हैं। जबकि सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वे श्रमिक हैं जो घरेलू कार्य, स्वरोजगार एवं वेतन पर कार्य कर रहे तथा जिनको अधिनियम की अनुसूची-11 में शामिल न किया गया हो। जबकि "व्यक्तिगत या स्वरोजगार के स्वामित्व वाले व्यावसाय जो उत्पादन, वस्तुओं की बिक्री या सेवाएं उपलब्ध कराने के कामों में संलग्न हैं और जहाँ श्रमिकों की संख्या दस से कम हो, असंगठित क्षेत्र कहलाता है"। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्रों में "वह श्रमिक हैं जो गाँव अथवा शहरो में मजदूरी पर अस्थायी रूप से काम करते हैं चूँकि यह श्रमिक वर्ग मुख्यतया बिखरा हुआ होता है अतः इनका परस्पर संगठन नहीं हो पाता है"।

असंगठित क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा भाग एक उद्यमी के रूप में कार्यरत है। परन्तु रोजगार के स्तर एवं गुणवत्ता की दृष्टि से वह संगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं से पीछे रह जाती है। भारत की

कुल श्रम शक्ति में काम करने वाले लोगों का 85 प्रतिशत से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। भारत के महापंजीयक एवं 2011 की जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, भारत में महिला कार्मिकों की कुल संख्या 14.98 करोड़ हैं और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में महिला श्रमिकों की संख्या क्रमशः 12.18 करोड़ तथा 2.8 करोड़ हैं। कुल 14.98 करोड़ महिला श्रमिकों में से 3.59 करोड़ महिलाएं खेतीहर मजदूर, जबकि 6.15 करोड़ कृषक तथा शेष महिला श्रमिकों में से 85 लाख महिलाएं घरेलू उद्योगों और 4.37 करोड़ अन्य श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत हैं।

2. अध्ययन क्षेत्र एवं न्यायदर्श पद्धति :

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन की ईकाई फर्रुखाबाद जनपद के असंगठित क्षेत्र के कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत महिलायें हैं। फर्रुखाबाद जनपद की 42 प्रतिशत महिलाएं मुख्य कर्मकार, सीमान्त एवं खेतिहर कर्मकार हैं, 23.0 प्रतिशत महिलाएं कृषक कर्मकार के रूप में जबकि 4.7 प्रतिशत घरेलू उद्योगों एवं 30.3 प्रतिशत अन्य कार्यों में संलग्न हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र में फर्रुखाबाद जनपद के असंगठित क्षेत्र के कृषि एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत 200 महिला कार्मिकों को संगणना पद्धति के आधार पर चयनित किया गया है। जिसमें कृषि उद्योग क्षेत्र के आलू उत्पादन, दलहन उत्पादन तथा अन्य कृषि क्षेत्रों में कार्यरत 100 तथा सेवा क्षेत्र के ब्यूटी पार्लर, होटल व्यवसाय तथा विभिन्न दुकानों में संलग्न 100 महिलाओं को सम्मिलित किया गया है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। वह पारिवारिक एवं कार्य निष्पादन-व्यवस्था का अभिन्न अंग है। महिलाएं पारिवारिक गृह सीमाओं से बाहर निकलकर व्यवसायिक क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। व्यवसाय सम्बन्धी कार्यों तथा परिवार के दायित्वों का निर्वहन करने में प्रायः उन्हें आन्तरिक संवेगात्मक अथवा भावात्मक द्वन्द्व का सामना करना पड़ता है। डिसूजा (1963) के अनुसार कार्यरत महिलाएं अधिकांशतः परिवार तथा बच्चों की जिम्मेदारियों से उत्पन्न समस्याओं से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, विशेषरूप से उस अवस्था में जब बच्चें शैशवावस्था में होते हैं। इन भूमिका संघर्षों के अतिवृत्त महिलाओं को कार्यक्षेत्रों में भी अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कार्य स्थल व घर के कार्यों में समायोजन करना, यह उनके लिए बड़ी समस्या होती है। जिसे वह किस तरह अपनी सुझ-बुझ से सुलझा पाती है। इस आधार पर अध्ययनकर्ता ने प्रस्तुत शोध पत्र में कार्यरत महिलाओं की प्रमुख आधारभूत समस्याओं का अध्ययन किया है।

कम मजदूरी की समस्या: असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को केवल कुछ चुने हुए कार्यों में ही रोजगार के अवसर मिलते हैं। जैसे: खेती, बागवानी, हस्तशिल्प, लघु उद्योग, चीनी मिट्टी तथा कार्यालयों से संबंधित कार्य। इन सीमित व्यवसायों में रोजगार की इच्छुक महिलाओं की संख्या अधिक होती है। असंगठित क्षेत्र में व्यवसायों की कमी व काम करने वालों की संख्या अधिकांश होने के कारण, महिलाओं को कम मजदूरी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है।

दोहरे मापदंड की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को दोहरे माप दण्ड की समस्या से भी रूबरू होना पड़ता है। कई नियोजक प्रसूति की स्थिति में छुट्टी तथा प्रसूति-हितलाभ, शिशु गृह की स्थापना की अनिवार्यता तथा महिलाओं को रात्रिकार्य और खतरनाक कामों पर कानूनी प्रतिबन्धों के कारण महिलाओं को नियोजित नहीं करना चाहते। इन कारणों के अतिरिक्त भारत पुरुष प्रधान समाज है। जिसकी झलक इस समस्या पर भी दिखाई देती है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलायें भी इस दोगुने दर्जे की सामाजिक स्थिति का शिकार हैं। उन्हें समान कार्य व समान घण्टे कार्य करने के बाद भी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है।

कार्य की कठिनाइयों की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को अपनी कार्य क्षमता के अनुपात से अधिक कठिन कार्यों का भी निर्वाह करना पड़ता है। विशेषकर शारीरिक कार्य वाले नियोजनों में लगातार कई घण्टों तक काम करना पड़ता है। कई कारखानों में उन्हें खतरनाक मशीनों या प्रक्रियाओं में भी नियोजित किया जाता है। कार्य स्थल पर उन्हें विश्राम के अभाव, अपर्याप्त प्रकाश और असुरक्षा, व्यावसायिक रोग, दुर्घटना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

दोहरे काम की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त भी परिवार के अधिकांश कार्यों को पूर्ण करना पड़ता है। इस प्रकार इन महिलाओं पर सदैव कार्य का दबाव बना रहता है। इसका उनके स्वास्थ्य और मानसिक सन्तुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कार्यक्षेत्र में मिलने वाली सुविधाओं की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के सामने आर्थिक की समस्या तो है, फर्रुखाबाद जनपद में बहुत सी गैर सरकारी संगठन हैं। जिनके माध्यम से महिलाएँ काम कर रही हैं जिनमें कार्यरत महिलाओं को देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं। जिससे उन्हें कम सुविधाओं पर ही कार्य करना पड़ता है। जिससे इन असंगठित क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक, एवं सांस्कृतिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

बच्चों के पालन-पोषण की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं के सामने बच्चों के पालन-पोषण की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या होती है। व्यावसायिक जीवन में आगे बढ़ने में महिलाओं के सामने तब बड़ी समस्या आती है। जब उन्हें अपनी कामकाजी भूमिका के साथ-साथ मातृत्व का दायित्व भी निभाना पड़ता है। महिलाएं अपने कार्य के साथ, पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वाह भी करती हैं। जिससे उन्हें भूमिका संघर्ष एवं तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा की समस्या: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं में शिक्षा का अभाव पाया जाता है। फर्रुखाबाद जनपद के संदर्भ में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों के बीच शिक्षा का प्रसार कम है। जिसके कारण आज भी अधिकांश ग्रामीण

महिलायें अशिक्षित हैं। जिस कारण आज भी महिलाएँ अपने अधिकारों से वंचित हैं। जागरूकता का अभाव कई समस्याओं को जन्म देता है उनमें से एक अशिक्षा भी है।

पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन की समस्या: इस क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के पास समय का अभाव बहुत अधिक होता है। इस कारण वह पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाती है। कार्य से वापसी के बाद, घर के सदस्य उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि चाय-नाश्ता व खाना उनके द्वारा ही मिले और वे परिवार के सदस्यों की इस अपेक्षा को वे खुशी-खुशी पूरा भी करना चाहती हैं और पति भी यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके बच्चों की देखभाल स्वयं माँ के द्वारा ही हो। काफी प्रयास के बाद भी असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं में 'समय का अभाव' एक प्रमुख समस्या है। जिन पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन वे अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर करना चाहती हैं किन्तु व्यावहारिक रूप से समय का अभाव इसमें बाधक है।

निर्णय लेने में स्वतंत्रता की समस्या: यह एक बहुत बड़ी समस्या है इसे एक विडम्बना ही कहना चाहिए कि आज की महिलायें कार्यकारी होने के बावजूद अपने बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाती हैं और उनका व्यावसाय करने का निर्णय परिवार के सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करता है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ:- असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलायें आर्थिक रूप से संपन्न न होने के कारण कुपोषण की शिकार होती हैं साथ ही वे स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं से घिरे रहती हैं। समुचित भोजन का अभाव, कुपोषण की दयनीय दशा, समुचित चिकित्सा के साधनों की कमी आदि के कारण निर्धन व्यक्तियों में अशाक्तता बीमारी, अकाल मृत्यु, विकलांगता आदि संबंधी समस्याएँ और भी जटिल और गम्भीर होती हैं।

स्वयं की रक्षा की समस्या: आज के आधुनिक युग में महिलाएँ अधिकतर स्वयं की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पाती हैं क्योंकि वे कामकाजी होने के कारण महिलाओं को अपने कार्य स्थल पर अकेले ही जाना पड़ता है, यदि अधिक दूरी पर कार्य के लिए जाना पड़े तो, रास्ते पर कभी उनसे अपराध होने का भय लगा रहता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में महिलाओं पर अधिक घटनाएँ हो रही हैं। कुछ कुलीन परिवार में महिलाओं को नौकरी या घर से बाहर जाने की आज्ञा नहीं मिलती है, जिसके कारण शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक, स्तर पर भी महिलाओं को आगे आने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उनके परिवारों में महिलाओं को अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। इन समस्याओं के अतिरिक्त महिलाओं को घर एवं कार्यस्थल पर भूमिका संघर्ष एवं तनाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

व्याख्या:

भारत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के चलते महिलाओं में भूमिका संघर्ष एवं तनाव की समस्या एक महत्वपूर्ण पहलू हो गया है। पारंपरिक रूप से भारतीय महिलाएं पारिवारिक व्यवस्था के अंदर रहकर ही कार्य करती थीं। वर्तमान में वे पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कई संगठनों में कार्यरत हैं। परिणामस्वरूप आधुनिक महिलाएं दो प्रकार की व्यवस्थाओं में जीवनयापन करती हैं, तथा उन्हें परिवार के साथ-साथ रोजगार से सम्बंधित भूमिकाएं भी निभानी पड़ती हैं। जिस कारण कामकाजी महिलाओं को भूमिका जनित तनाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आर्थिक अनिवार्यताओं के चलते समाज में अधिकांश महिलाएं कई उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। जिन महिलाओं को स्वयं के कार्य से संतोष मिलता है उन्हें अपनी उपलब्धि की कीमत भी मिलती है, परन्तु व्यावसाय के साथ-साथ उन्हें गृहस्थी पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। अभी भी महिलाओं को अपनी पारंपरिक भूमिका में अलग से कोई सहायता नहीं मिलती है। यद्यपि महिलाओं के दायित्व बढ़ गये हैं, क्योंकि सभी के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे जितना समय कार्यस्थल पर देती हैं, उतना उन्हें घरेलू कार्यों में भी दें। जिसके कारण ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं को स्वयं के व्यवहार के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है। जो महिलाओं के कार्मिक जीवन में तनाव उत्पन्न करती है। इन परिस्थितियों से सामंजस्य न कर पाने के कारण कार्मिक महिलाओं में तनाव एवं भूमिका संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में फरूखाबाद जनपद के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को घर एवं कार्यस्थल पर न्योक्ता एवं साथियों के व्यवहार आदि सम्बंधित समस्याओं का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश 38.90 प्रतिशत महिलाओं का सैलरी समय पर न मिलने पर से तनाव महसूस होता है। जिस कारण उनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा 17.56 प्रतिशत महिलाओं को न्योक्ता के व्यवहार से तनाव महसूस होता है। जबकि 13.20 प्रतिशत महिलाओं को कार्यस्थल पर अपने साथियों के व्यवहार से तनाव महसूस होता है। किसी अन्य कारणों की समस्याओं से सम्बंधित 30.34 प्रतिशत महिलाओं को कार्यस्थल पर तनाव होता है। इन कारणों में महिलाओं को परिवार एवं प्रसूति से सम्बंधित सम्बंधित समस्याएं होती हैं। अतः स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं ऐसी हैं जिनको केवल कार्यस्थल पर तनाव होता है।

समाज में व्यक्ति को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है यदि उनमें विरोधाभास हो तो उसे हम भूमिका संघर्ष कहते हैं। भूमिका संघर्ष के लिये समाज के सांस्कृतिक मूल्य भी उत्तरदायी हैं। आधुनिक एवं परिवर्तनशील समाजों में भूमिका संघर्ष अधिक पाया जाता है क्योंकि यहां नवीन एवं पुराने मूल्य साथ-साथ पाये जाते हैं। समाज में मनुष्य विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करता है। एक व्यक्ति जिस प्रकार से एक परिस्थिति से सम्बंधित विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं का उपभोग करता है, उसे ही भूमिका संघर्ष कहते हैं। लुण्डबर्ग, (1954:262) के अनुसार विभिन्न भूमिकाओं का एक साथ निभाना आसान नहीं होता है। अतः भूमिका संघर्ष की स्थिति में प्रभावी भूमिका का चयन कर एक या दो भूमिका छोड़ देते हैं। कामकाजी महिलाओं को अपनी नौकरी से सम्बंधित कार्यों के अतिरिक्त घर के भी कामकाज देखने पड़ते हैं। इस प्रकार उन पर काम का बोझ भी अधिक होता है।

साथ ही उन्हें कार्यस्थल पर भी दोहरी भूमिका एवं संघर्ष का भी सामना करना पड़ता है, जिसका उनके स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। महिलाओं को कार्यस्थल पर एक कार्मिक की भूमिका के साथ अन्य भूमिका भी निभानी पड़ती है जिससे महिलाओं में मानसिक तनाव एवं चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में अध्ययनकर्ता द्वारा निम्न भूमिकाओं के दोहन द्वारा उत्पन्न भूमिका संघर्ष को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

कार्यस्थल पर अधिकांश महिलाएँ भूमिका संघर्ष के कारण ग्रसित होती हैं। जिस कारण महिलाओं को भूमिका संघर्ष से उत्पन्न तनाव का सामना करना पड़ता है चूंकि दो असंगत भूमिकाओं का निर्वहन करने पर एक भूमिका को त्यागना पड़ता है। शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि 35.31 प्रतिशत महिलाओं को कार्यस्थल पर माँ एवं कार्मिक की भूमिका निभानी पड़ती है। जबकि 21.56 प्रतिशत महिलाओं को पुत्री एवं कार्मिक की भूमिका निभानी पड़ती है, तथा 30.65 प्रतिशत महिला कार्मिकों को विद्यार्थी एवं कार्मिक की भूमिका निभानी पड़ती है। कार्यस्थल पर 12.48 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी भी हैं जिनको अन्य भूमिकाओं के कारण भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जिससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं को कार्यस्थल पर एक कार्मिक की भूमिका के साथ साथ अन्य भूमिका भी निभानी पड़ती है जिससे महिलाओं में मानसिक तनाव एवं चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है।

असंगठित क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है। प्रायः महिलाएँ लगभग 8-9 घण्टे घरों से बाहर कार्य करती हैं। जिससे महिलाओं को घर और बाहर दोहरी भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। इस कारण कामकाजी महिलाएँ घर के सदस्यों की देख-रेख अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं। एक ओर जहाँ उन्हें घर के दैनिक कार्यों को तो सम्पन्न करना ही है। साथ में उन्हें कार्यस्थल पर लगभग 8-9 घण्टे कार्य करना पड़ता है। जिसकी वजह से वे अपने परिवार को अच्छे से समय नहीं दे पाती हैं। क्योंकि महिलाओं के कार्यकारी होने से उनके पास हमेशा समय की कमी रहती है। जिससे पति और अन्य सदस्यों को लगता है कि वह उनका पूर्ण ध्यान नहीं रख रही है। इसी संदर्भ में अध्ययनकर्ता द्वारा घर व कार्यस्थल में कार्य की अधिकता के कारण उत्तरदायित्व के तनाव अनुभव करने का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि फरूखाबाद जनपद के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश 75.08 प्रतिशत महिलाएँ घर व कार्यस्थल में कार्य की अधिकता के कारण तनाव अनुभव करती हैं। जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल व घर दोनों में मानसिक एवं शारीरिक दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जबकि कार्यस्थल में 25.92 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी भी पायी गईं जो घर व कार्यस्थल में कार्य की अधिकता के कारण भी तनाव अनुभव नहीं करती हैं।

निष्कर्ष:

फरूखाबाद जनपद के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की भूमिका संघर्ष एक प्रमुख समस्या है। कार्य स्थल व घर के कार्यों में समायोजन करना, यह उनके लिए बड़ी समस्या होती है। कार्यस्थल पर अधिकांश महिलाएँ भूमिका संघर्ष के

कारण ग्रसित है। जिस कारण महिलाओं को भूमिका संघर्ष से उत्पन्न तनाव का सामना करना पड़ता है चूंकि दो असंगत भूमिकाओं का निर्वहन करने पर एक भूमिका को त्यागना पड़ता है। इसी संदर्भ में अधिकांश महिलाओं को कार्यस्थल पर माँ एवं कार्मिक की भूमिका निभानी पड़ती है। साथ ही महिलाओं को पुत्री, कार्मिक तथा विद्यार्थी की भी भूमिका निभानी पड़ती है। जिससे महिलाओं में मानसिक तनाव एवं चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। जिसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल व घर दोनों में मानसिक एवं शारीरिक दोनों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सुझाव:

अध्ययन के विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है कि कार्यरत महिलाओं को दोहरी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। इसीलिए उन्हें संयुक्त परिवार की व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे उनके बच्चों की सही देखभाल हो सके। साथ ही सरकार एवं संगठनों द्वारा कार्यरत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर ही शैक्षिक, कार्य के अनुरूप आय, मनोरंजन तथा अन्य सम्बंधित योजनाओं एवं प्रावधानों को नियोजित किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं में पायी जाने वाली भूमिका संघर्ष सम्बंधित जैसी समस्याओं को कम से कम किया जा सके।

सन्दर्भ सूची :

1. गुड, विलियम जे. (1960), "रोल स्ट्रेन का सिद्धांत", अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू, 25: 483-485.
2. भगवती जे. एवं श्रीनिवास.टी.एन., (1993)., "भारतीय आर्थिक सुधार", वित्त मंत्रालय, भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली
3. डी सूजा, सी. (1963), "द कॉल ऑफ वर्किंग मदर", सोशल एक्शन.पृ.640-646.
4. सिन्हा.पी.आर., इन्दुबाला, "श्रम एवं समाज कल्याण", भारती भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स), 2011, पृ.-470-475.
5. लुण्डबर्ग, जी.ए. (1954), "सोसियोलॉजी", हर्षपर एण्ड ब्रादर्स पब्लिसर्स, न्यूयॉर्क
6. भारत 2023., "सन्दर्भ ग्रन्थ", सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पृ.- 630-631.
7. <http://www.census2019.co.in/census/state/u.p.html>
8. www.census2019.co.in/data/town/800331-nainital-u.p.html